राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 381/2023

सुमति कुमार शर्मा –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय), बूंदी।
4. श्री सी.एल. प्रेमी बैरवा, पूर्व विधायक, ग्राम विजयनगर, केशवरायपाटन, बूंदी

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.01.2023
आदेश की दिनांक : 01.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–1) को चुनौति दी है। अपीलार्थी प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है तथा अपीलार्थी के बार–बार स्थानान्तरण किये गये हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.11.2022 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोहनपुरा, बूंदी से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कैथवाडा, भरतपुर किया गया। तत्पश्चात आदेश दिनांक 20.12.2022 (अनुलग्नक–6) के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कैथवाडा, भरतपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोहनपुरा, बूंदी किया गया। इसके 22 दिन पश्चात ही अपीलार्थी का पुनः स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोहनपुरा, बूंदी से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बैंगाना, बांरा 160 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के स्थानान्तरण हेतु प्रत्यर्थी संख्या 4 ने शिक्षा मंत्री महोदय बी.डी. कल्ला जी को एक पत्र दिनांक 28.10.2022 (अनुलग्नक–2) लिखा जिसमें अपीलार्थी को राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त बताते हुए अन्यत्र स्थानान्तरण हेतु कहा गया है। अतः अपीलार्थी का राजनैतिक दुर्भावनावश स्थानान्तरण किया गया है जो अनुचित एवं अवैध है। साथ ही निवेदन किया कि आलोच्य आदेश में अपीलार्थी को यात्रा

भत्ता नहीं देय किया गया है। अपीलार्थी ने स्थानान्तरण हेतु कोई आवेदन नहीं किया है। अतः आलोच्य आदेश निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान मोहनपुरा, बूंदी में जून 2018 से कार्यरत है। अनुलग्नक–5 द्वारा उसका स्थानान्तरण मोहनपुरा, बूंदी से कैथवाडा, भरतपुर होना एवं अनुलग्नक–6 द्वारा पुनः पदस्थापन मोहनपुरा, बूंदी में होना उपलब्ध है, परन्तु अनुलग्नक–5 की अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा भरतपुर में कार्यभार ग्रहण करने बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी जून 2018 से मोहनपुरा (बूंदी) में पदस्थापित है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि अपने कर्मचारियों की सेवा किस स्थान पर ले। इसमें कोई दुर्भावना परिलक्षित नहीं होती है। अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

अतः इस संबंध में हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का दूरस्थ स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है। परन्तु यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को स्थानान्तरण पर नियमानुसार यात्रा–भत्ता एवं अन्य देय भुगतान दिए जावे।

आदेश आज दिनांक 01.02.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)